(1)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 890—एक/2006 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 16—02—2006 के द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 85/1999—2000/अपील

.....

माता प्रसाद पुत्र श्री गीताराम
निवासी—ग्राम पिपरई, मौजा विजयगढ़
तहसील पोरसा, जिला—मुरैना, म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1— रामवती पुत्री शिवचरण
2— श्यामवती पुत्री शिवचरण
सभी निवासी— ग्राम पिपरई, मौजा विजयगढ़
तहसील पोरसा, जिला—मुरैना, म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 5-9-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 85/1999—2000/अपील में पारित आदेश दिनांक 16—02—2006 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में यह है कि ग्राम वीचोली तहसील पोरसा में स्थित प्रश्नाधीन भूमि जिसका सर्वे क्रमांक 104 रकबा 3 बीघा 14 विस्वा जिसके आभिलिखित भूमिस्वामी शिवचरण जो कि अनावेदक क्र0 1 व 2 के पिता एवं अनावेदक क्र0 3 के पति थे। आवेदक ने विचारण न्यायालय के समक्ष विवादित भूमि पर कब्जा दर्ज किये जाने बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा दिनांक 04.08.94 को

आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन–पत्र स्वीकार किया गया । विचारण न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह के समक्ष संहिता की धारा 5 अवधि विधान के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की गई, जो आदेश दिनांक 25.03.2000 को निरस्त कर दी गई। अनुविभागीय अधिकारी, अम्बाह के आदेश दिनांक 25.03.2000 के विरूद्ध द्वितीय अपील न्यायालय अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अनावेदकगण द्वारा पेश की गई । न्यायालय अपर आयुक्त के यहॉ प्रकरण क्रमांक 85/99–2000/अपील माल में दर्ज किया गया तथा दिनांक 16.02.2006 को अपर आयुक्त मुरैना द्वारा आदेश पारित कर प्रस्तुत अपील स्वीकार की गई एवं निर्देशों के प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया। अपर आयुक्त मुरैना के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0के0 अवस्थी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने यह उल्लेख किया है कि प्रारंभिक न्यायालय में अभिलिखित भूमिस्वामी श्री शिवचरण स्वयं उपस्थित था तो उसे प्रारंभिक न्यायालय के आदेश की जानकारी थी और उसके द्वारा प्रारंभिक न्यायालय में कोई आपत्ति भी प्रस्तुत नहीं की गई और ना ही कोई अपने जीवनकाल में प्रारंभिक न्यायालय के आदेश के विरूद्ध कोई अपील ही प्रस्तुत की गई । शिवचरण की मृत्यु के पश्चात ही अनावेदकगण को अपील प्रस्तुत करने का कोई कानूनन अधिकार नहीं था । ऐसी अपील समय सीमा में मानी जा सकती है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है एवं निगरानी स्वीकार की जावे ।

4/ अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये गुण–दोष के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने हेतु रखा जावे ।

5/ आवेदक अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अभिलेखों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि सर्वप्रथम प्रकरण में अवधि बिन्दु पर विचार किया जाना है, कि अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह द्वारा पारित विचाराधीन आदेश जिसके द्वारा अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत अपील को अवधि बाह्य मानकर निरस्त की गई, नियमानुसार है या नहीं । प्रकरण पत्रिका को देखने से यह तथ्य सामने आया है कि विचारण न्यायालय में आवेदक माताप्रसाद द्वारा विवादित भूमि पर कब्जा दर्ज किये जाने

बावत आवेदन–पत्र पेश किया गया था । चूँकि विवादित भूमि का अभिलिखित भूमिस्वामी अनावेदकगण के पिता एवं पति शिवचरण था तो विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित भूमिस्वामी को बिना सुने अथवा सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही किस आधार पर आदेश पारित किया गया । यह विचारणीय बिन्दु है । अभिलिखित भूमिस्वामी को भूमि पर अन्य व्यक्ति का कब्जा लिखा जावे और वह आपत्ति न करें, ये कैसे संभव है । अनुविभागीय अधिकारी ने मात्र इसी बिन्दु पर प्रस्तुत अपील अवधिबाह्य मांना है कि शिवचरण विचारण न्यायालय में उपस्थित था, उसे पारित आदेश की जानकारी थी, किन्तु इस बिन्दु पर कोई विचार नहीं किया कि कब्जा दर्ज किये जाने कोई उपबन्ध संहिता में है या नहीं । आदेश पारित किये जाने से पहले हितबद्ध पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं उसे सुने बिना ही आदेश पारित किया जाना अवैध आदेश की परिभाषा में आता है ।

6/ वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा अनेक ऐसे न्यायिक सिद्धांत है जिसमें स्पष्टता प्रतिपादित किया जाता रहा है कि विलंब माफ करने बावत् आवेदन–पत्र पर उदार रूख अपनाया जाना चाहिये। रे0नि0 1995 पृ0 411 राजेन्द्रसिंह ठाकूर विरूद्ध राजस्व मण्डल ग्वालियर तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया है कि धारा 5 विलंब माफी हेतु आवेदन विलंब माफी पर जब विचार किया जा रहा हो तो उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये । इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एम0पी0एल0जे0, 1993 शोर्ट नोट 735 वन्तियाबाअई विरूद्ध सिकन्दरखान में स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि जब विलंब माफी का आवेदन पत्र पर विचार किया जा रहा हो तो यह देखा जाना चाहिये कि सामान्यतः पक्षकार को उसके न्याय निर्णय के अधिकार से वंचित नहीं होना पड़ा है । इन सारे न्यायिक सिद्धांतों को अनुविभागीय अधिकारी, अम्बाह द्वारा अनदेखा किया गया है । अनावेदकगण जो कि विवादित भूमि के अभिलिखित भूमिस्वामी है न्याय निर्णय से वंचित रहे, जो विधि के मंशा के विपरीत है । अतः ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी, अम्बाह को प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये उदार रूख अपनाया जाना चाहिये था ।

6/ उपरोक्त तथ्यों में प्रकाश डालने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि अनुविभागीय अधिकारी, अम्बाह द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.03.2000 विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । मेरे विचार से अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल

संभाग, मुरैना ने अनुविभागीय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने में कोई भूल नहीं की है । अतः अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–02–2006 में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है । अतः उसे यथावत रखा जाता है और आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई निगरानी निरस्त की जाती है । अभिलेख दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर